न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः–54/2024

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88 आर.टी.ए.

1 गुरमेल कौर पत्नी बाबा सिंह उर्फ बाबू सिंह जाति रामदासिया निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
2 प्रीति पुत्री बाबा सिंह उर्फ बाबू सिंह जाति रामदासिया निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.) नाबालिग जरिये कुदरती वली माता गुरमेल कौर
3 सुखदेव सिंह पुत्र बाबा सिंह उर्फ बाबू सिंह जाति रामदासिया निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.) जरिये कुदरती वली माता गुरमेल कौर

–: वादीगण

बनाम्

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ

–: प्रतिवादी

उपस्थित :–

1. श्री मनोज अरोड़ा – अधिवक्ता वादी
2. श्री राजपैरोकार – प्रतिवादी

–:निर्णयः–

दिनांक ....

अधिवक्ता वादी द्वारा यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के नाम चक 8 एसएसडब्ल्यू पटवार हल्का 10 केएसपी खाता सं. 218/314 तादादी 1.265 है. में वादीगण 1/3 प्रत्येक का हिस्सा काश्तकार हैं उक्त खाता में वादीगण के पिता/पति का नाम बाबासिंह दर्ज राजस्व रिकार्ड है जबकि उनका वास्तविक व सही नाम बाबा सिंह उर्फ बाबू सिंह है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में खातेदार गुरमेल कौर पत्नी बाबासिंह की जगह गुरमेल कौर पत्नी बाबा सिंह उर्फ बाबू सिंह, खातेदार प्रीति पुत्री बाबासिंह की जगह प्रीति पुत्री बाबा सिंह उर्फ बाबू सिंह व खातेदार सुखदेव सिंह पुत्र बाबासिंह की जगह सुखदेव सिंह पुत्र बाबा सिंह उर्फ बाबू सिंह दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड करने का अनुतोष चाहा है।

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार हनुमानगढ से मौका व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ./1579 दिनांक 01.05.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अंकित किया गया है कि बाबा सिंह व बाबू सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी द्वारा अपने अनुतोष के समर्थन में शामिल मिसल दस्तावेज यथा प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत गुरूसर, मतदाता पहचान पत्र बाबू सिंह, आधार कार्ड वादी सं. 1, मृत्यु प्रमाण पत्र बाबू सिंह को अवलोकन किया जिसमें वादीगण के पिता/पति का नाम बाबू सिंह है। बहस वकील/राज पेरोकार उभयपक्ष सुनी गई। वाद पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

अतः वादी वाद अंतिम डिक्री किया जाता है किः– चक 8 एसएसडब्ल्यू पटवार हल्का 10 केएसपी खाता सं. 218/314 तादादी 1.265 है. खाता में वादीगण सं. 1 ता 3 के पिता/पति का नाम बाबासिंह की जगह बाबा सिंह उर्फ बाबू सिंह करने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार अमलदरामद करने व राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.24 21:03:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः–054/2024

1 गुरमेल कौर पत्नी बाबा सिंह उर्फ बाबू सिंह जाति रामदासिया निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
2 प्रीति पुत्री बाबा सिंह उर्फ बाबू सिंह जाति रामदासिया निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.) नाबालिग जरिये कुदरती वली माता गुरमेल कौर
3 सुखदेव सिंह पुत्र बाबा सिंह उर्फ बाबू सिंह जाति रामदासिया निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.) जरिये कुदरती वली माता गुरमेल कौर

–: वादीगण

बनाम्

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ

–: प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री मनोज अरोड़ा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री राज पैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः– चक 8 एसएसडब्ल्यू पटवार हल्का 10 केएसपी खाता सं. 218/314 तादादी 1.265 है. खाता में वादीगण सं. 1 ता 3 के पिता/पति का नाम बाबासिंह की जगह **बाबा सिंह उर्फ बाबू सिंह** करने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार अमलदरामद करने व राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो आदेश की पालना की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक .... को जारी किया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.24 21:03:13 IST
Reason: SelfAttested